रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/98

REGISTERED No. D.L.-33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1998/पौष 5, 1920

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 1998/PAUSA 5, 1920

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1998

सा.का.नि. 252:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1976 का और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1998 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 की अनुसूची 1 में स्टाफ नर्स के पद से संबंधित क्रम संख्या 28 के सामने स्तम्भ 8 के अन्तर्गत आने वाली प्रविशिष्ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"18 से 30 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारी के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी पांच वर्ष की और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष की छूट दी जा सकती है)।

[स. ए-35011/13/96-प्रशा.]

एस. शांडिल्य, अवर सचिव (प्रशा.)

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. संख्या 275(अ) तारीख 1 अप्रैल, 1976 द्वारा अधिसूचित किये गये थे और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये।

अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	राजपत्र अधिसूचना की संख्या तथा तिथि संबंधी विवरण
1. ए-35022/1/76-प्रशा., तारीख 25-7-79	1. सा.का.नि. सं. 1148, तारीख 15-9-79
2. ए-35022/1/76-प्रशा., तारीख 18-4-81	2. सा.का.नि.सं. 450, तारीख 9-5-81
3. ए-35011/12/81-प्रशा., तारीख 10-6-81	3. सा.का.नि.सं. 633, तारीख 11-7-81
4. ए-35011/12/81-प्रशा., तारीख 23-5-84	4. सा.का.नि. सं. 562, तारीख 9-6-84
5. ए-35011/12/81-प्रशा., तारीख 9-8-85	5. सा.का.नि.सं. 809, तारीख 31-8-85
6. ए-30511/1/86-प्रशा., तारीख 8-1-86	6. सा.का.नि.सं. 77, तारीख 1-2-86
7. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 8-1-86	7. सा.का.नि.सं. 78, तारीख 1-2-86
8. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 26-12-88	8. सा.का.नि.सं. 1205(अ), तारीख 26-12-88
9. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 1-7-89	9. सा.का.नि.सं. 667(अ'), तारीख 1-7-89
10. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 15-2-90	10. सा.का.नि.सं. 76(अ), तारीख 15-2-90
11. ए-35011/35/86-प्रशा., तारीख 15-2-90	11. सा.का.नि.सं. 77(अ), तारीख 15-2-90
12. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 16-5-90	12. सा.का.नि.सं. 502(अ), तारीख 17-5-90
13. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 30-5-90	13. सा.का.नि.सं. 538(अ), तारीख 1-6-90
14. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 13-8-90	14. सा.का.नि.सं. 707(अ), तारीख 16-8-90
15. ए-16011/1/86-प्रशा., तारीख 13-8-90	15. सा.का.नि.सं. 560, तारीख 1-9-90
16. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 10-12-90	16. सा.का.नि.सं. 753, तारीख 22-12-90
17. ए-12015/2/91-प्रशा., तारीख 11-6-91	17. सा.का.नि.सं. 306(अ), तारीख 11-6-91
18. ए-12015/2/91-प्रशा., तारीख 29-4-92	18. सा.का.नि.सं. 442(अ), तारीख 29-4-92
19. ए-12015/2/91-प्रशा., तारीख 13-4-94	19. सा.का.नि.सं. 384(अ), तारीख 13-4-94
20. ए-11015/8/91-प्रशा., तारीख 27-7-95	20. सा.का.नि.सं. 565(अ), तारीख 27-7-95
21. ए-35011/13/96-प्रशा., तारीख 23-5-96	21. सा.का.नि.सं. 224(अ), तारीख 23-5-96
22. ए-35011/13/96-प्रशा., तारीख 17-7-97	22. सा.का.नि.सं. 396(अ), तारीख 17-7-96
23. ए-35011/13/96-प्रशा., तारीख 2-12-97	23. सा.का.नि.सं. 394(अ), तारीख 13-12-97

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 9th December, 1998

G.S.R. 252.—In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule 1 to the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976, against serial number 28 relating to the post of Staff Nurse, for entry under column 8, the following entry shall be substituted, namely :—

"Between 18 and 30 years (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Also relaxable by 5 years for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 3 years for Other Backward Classes candidates)".

[No. A-35011/13/96-Adm.]

S. SANDILYA, Under Secy. (Admn.)

Note :— The principal rules were notified vide G.S.R. No. 275(E) dated the 1st April 1976 and subseqnently amended vide:—

Sl. No.	Number and date of Notification	Particulars of Gazette Notification No. & date
1.	A-35022/1/76-Adm dt. 25-7-79	G.S.R. No. 1148 dt. 15-9-79
2.	A-35022/1/76-Adm dt. 18-4-81	G.S.R. No. 450 dt. 9-5-81
3.	A-35011/12/81-Adm dt. 10-6-81	G.S.R. No. 633 dt. 11-7-81
4.	A-35011/12/81-Adm dt. 23-5-84	G.S.R. No. 562 dt. 9-6-84
5.	A-35011/12/81-Adm dt. 9-8-85	G.S.R. No. 809 dt. 31-8-85
6.	A-35011/1/86-Adm dt. 8-1-86	G.S.R. No. 77 dt. 1-2-86
7.	A-35011/1/86-Adm dt. 8-1-86	G.S.R. No. 78 dt. 1-2-86
8.	A-35011/1/86-Adm dt. 26-12-88	G.S.R. No. 1205(E) dt. 26-12-88
9.	A-35011/1/86-Adm dt. 1-7-89	G.S.R. No. 667(E) dt. 1-7-89
10.	A-35011/1/86-Adm dt. 15-2-90	G.S.R. No. 76(E) dt. 15-2-90
11.	A-35011/1/86-Adm dt. 15-2-90	G.S.R. No. 77(E) dt. 15-2-90
12.	A-35011/1/86-Adm dt. 16-5-90	G.S.R. No. 502(E) dt. 17-5-90
13.	A-35011/1/86-Adm dt. 30-5-90	G.S.R. No. 538(E) dt. 1-6-90
14.	A-35011/1/86-Adm dt. 13-8-90	G.S.R. No. 707(E) dt. 16-8-90
15.	A-16011/1/86-Adm dt. 13-8-90	G.S.R. No. 560 dt. 1-9-90
16.	A-35011/1/86-Adm dt. 10-12-90	G.S.R. No. 753 dt. 22-12-90
17.	A-12015/2/91-Adm dt. 11-6-91	G.S.R. No. 306(E) dt. 11-6-91
18.	A-12015/2/91-Adm dt. 29-4-92	G.S.R. No. 442(E) dt. 29-4-92
19.	A-12015/2/91-Adm dt. 13-4-94	G.S.R. No. 384(E) dt. 13-4-94
20.	A-11015/8/91-Adm dt. 27-7-95	G.S.R. No. 565(E) dt. 27-7-95
21.	A-35011/13/96-Adm dt. 23-5-96	G.S.R. No. 224(E) dt. 23-5-96
22.	A-35011/13/96-Adm dt. 17-7-97	G.S.R. No. 396(E) dt. 17-7-97
23.	A-35011/13/96-Adm dt. 2-12-97	G.S.R. No. 394 dt. 13-12-97

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1998

सा. का. नि. 253.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस-भारत रिजर्व बटालियन में कतिपय समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस-भारत रिजर्व बटालियन (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इस नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं; विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी-व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमो की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नही	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के के लिए आय सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. पुलिस निरीक्षक	7 (1998)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	6500-200-10,500/रु.	लागू नहीं होता	नही	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति ऐसे उप निरीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी मे 5 वर्ष नियमित सेवा की है: प्रतिनियुक्ति : संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, दमण, दीव और दादर तथा नागर हवेली/ केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों/राज्यों/अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या (2) ऐसे उप निरीक्षक, जिन्होंने उस श्रेणी मे 5 वर्ष नियमित सेवा की है : टिप्पण :—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा : 1. कमांडेंट, भारत रिजर्व बटालियन —अध्यक्ष	लागू नहीं होता

13

2. सहायक कमाडेंट/पुलिस उप निरीक्षक भारत रिजर्व बटालियन —सदस्य

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
2. उप निरीक्षक	23 (1998)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	5500-175-9000 रु	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच । (आयु के लिए अंतिम तारीख प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी होगी) ऊपरी आयु सीमा निम्नलिखित की दशा में शिथिलनीय : — (1) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तीन वर्ष । (2) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम पांच वर्ष तक भूतपूर्व सैनिकों/विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा मे छूट केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी, किन्तु यह अधिकतम 30 वर्ष तक निर्बन्धित होगी ।

8	9	10
आवश्यक किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य । वांछनीय : एन. सी. सी. "बी" या "सी" प्रमाणपत्र या उत्कृष्ठ क्रीडा या एथलेटिक का प्रमाण प त्र । शारीरिक मान : अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होगी : (1) सीना : 80 से. मी. (फुलाने के पश्चात् 85 सें. मी.) (2) ऊंचाई 165 सें. मी. (3) भार : चिकित्सीय मान के अनुसार ऊंचाई के अनरूप । चिकित्सामान (क) दृष्टि शक्ति दूर की दृष्टि नजदीक की दृष्टि (बेहतर आंख ठीक की हुई खराब आंख (ठीक की हुई दृष्टि) दृष्टि) 6/6 6/12 जे-I जे-II 8/9 या 6/9 —; वर्ण दर्शन परीक्षण उत्तीर्ण होना होगा । (ख) अभ्यर्थियों को अंतवक्रानुज, सपाट पांव, स्फीत शिरा या आंखों में तिर्यक नहीं होना चाहिए । उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उन्हें ऐसी शारीरिक कमी से भी मुक्त होना चाहिए जो उनके दक्ष कर्तव्य पालन में व्यवधान डाल सकती हो ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

8
प्रशिक्षण चयनित अभ्यर्थियों को केन्द्रीय/राज्य पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय से पुलिस उप निरीक्षक का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेना होगा ।

11	12
(1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसमें 50 प्रतिशत लक्षद्वीप के मूल निवासियों में से जिसमें संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के सरकारी सेवकों के कार्यालय प्रतिपाल्य भी सम्मिलित हैं और 50 प्रतिशत संघ राज्य क्षेत्र दमण तथा दीव और दादर और नागर हवेली के मूल निवासियों में से जिसमें संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव तथा दादर और नागर हवेली के सरकारी सेवकों के प्रतिपाल्य भी सम्मिलित है ।	प्रोन्नति :—ऐसे सहायक उप निरीक्षक जिसने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली है, जिसके न हो सकने पर सहायक उप निरीक्षक के और हैड कांस्टेबल के पदों पर 12 वर्ष की नियमित सम्मिलित सेवा की हो : दोनों के न हो सकने पर ऐसा हैड कांस्टेबल जिसने उस श्रेणी में 12 वर्ष नियमित सेवा की है । सहायक उप निरीक्षक और हैड कांस्टेबल, दोनों की समय-समय पर संचालित प्रोन्नति परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा और केन्द्रीय/राज्य पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक पूरा करना होगा । प्रतिनियुक्ति : संघराज्य क्षेत्र लक्षद्वीप दमन, दीव और दादर तथा नागर हवेली प्रशासन के ऐसे अधिकारी :
(2) सेवारत भारत रिजर्व बटालियन के कार्मिकों/लक्षद्वीप, दमण, दीव और दादर तथा नागर हवेली के पुलिस कार्मिकों से 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; (2) ऐसा सहायक उप निरीक्षक जिसने 4000-100-6000 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास आवश्यक परीक्षण अर्हताएं तथा प्रशिक्षण है; या (3) ऐसे अधिकारी जिन्होंने सहायक उप निरीक्षक और हैड कांस्टेबल के पदों पर 12 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है और जिनके पास आवश्यक परीक्षण अर्हताएं तथा प्रशिक्षण है । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा 1. कमांडेंट भारत रिजर्व बटालियन —अध्यक्ष 2. सहायक कमांडेंट/पुलिस उप निरीक्षक भारत रिजर्व बटालियन—सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. सहायक उप निरीक्षक	18 (1998)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	4000-100-6000	लागू नहीं होता	नही	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति :—ऐसा पुलिस कांस्टेबल जिसने 6 वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा संचालित हैड कांस्टेबल परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है । प्रतिनियुक्ति :—संघ राज्य क्षेत्र पुलिस/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल/राज्य पुलिस के अधीन ऐसा कांस्टेबल : (1) जो कांस्टेबल के रूप में 6 वर्ष की सेवा के साथ नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है : (पोषक प्रवर्ग के ऐसे कांस्टेबल, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा : 1. कमांडेंट, भारत रिजर्व पुलिस बटालियन —अध्यक्ष 2. सहायक/कमांडेंट/पुलिस उप निरीक्षक भारत रिजर्व बटालियन—सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि, जो राजपत्रित अधिकारी के रैंक से भिन्न रैंक का न हो —सदस्य	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
4. हैड कांस्टेबल	160 (1998)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	3200-85-4900/- रु.	लागू नही होता	लागू नहीं होता	लाग नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोन्नति :—ऐसा हैड कांस्टेबल जिसने उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने विभाग द्वारा संचालित प्रोन्नति परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो । प्रतिनियुक्ति :— (1) ऐसे अधिकारी, जो संघ राज्य क्षेत्र पुलिस/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल/राज्य पुलिस में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं :— (2) ऐसे हैड कांस्टेबल जिसने संघ राज्य क्षेत्र पुलिस/केन्द्रीय अर्द्ध पुलिस बल/राज्य पुलिस में 6 वर्ष नियमित सेवा की है : टिप्पण :—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा : 1. कमांडेंट भारत रिजर्व बटालियन --अध्यक्ष 2. सहायक कमांडेंट/पुलिस उप निरीक्षक भारत रिजर्व बटालियन--सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी --सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. कांस्टेबल	675 (1998)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (आयु सीमा की अंतिम तारीख प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी होगी) ऊपरी आयु सीमा निम्नलिखित की दशा में शिथिलनीय : (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष (2) अन्य पिछडे वर्गों के लिए 3 वर्ष ।

8	9	10
शैक्षिक अर्हताएं : सीनियर विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र/मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । शारीरिक मान : (क) ऊंचाई—165 सें. मी. (ख) सीना—बिना फुलाए 80 सें. मी. फुलाने पर 85 सें. मी. (ग) भार--चिकित्सा मान के अनुरूप ऊंचाई के अनुपात में । चिकित्सा मान :-- दृष्टि शक्ति दूर की दृष्टि बेहतर आंख (ठीक की हुई दृष्टि) 6/6 या 6/9; खराब आंख 6/12 या 6/9; निकट की दृष्टि (सही दृष्टि) जे-I जे-II वर्ण दर्शन परीक्षण उत्तीर्ण होना होगा । अभ्यर्थियों को अंतवक्रजानु, सपाट पांव, स्फीत शिरा या आंखों में तिर्यक नही होना चाहिए । उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उन्हें ऐसी शारीरिक कमी से भी मुक्त होना चाहिए जो उनके दक्ष कर्तव्यपालन में व्यवधान डाल सकती हो । प्रशिक्षण :--चयनित अभ्यर्थियो को केन्द्रीय/राज्य पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय से पुलिस उप निरीक्षक का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेना होगा ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसमें 50 प्रतिशत लक्षद्वीप के मूल निवासियों में से जिसमें संघ राज्य क्षेत्र व लक्षद्वीप के सरकारी सेवकों के प्रतिपाल्य भी सम्मिलित हैं और 50 प्रतिशत संघ राज्य क्षेत्र दमण तथादीव और दादर और नागर हवेली के मूल निवासियों में से जिसमें संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली के सरकारी सेवकों के प्रतिपाल्य भी सम्मिलित हैं।	लागू नहीं होता

13	14
पुष्टि के प्रयोजन के लिए, विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन, निम्नलिखित से मिलकर होगा : 1. कमाडेंट, भारत रिजर्व बटालियन —अध्यक्ष 2. सहायक कमांडेंट/उप पुलिस अधीक्षक भारत रिजर्व बटालियन—सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यको का प्रतिनिधि, जो राजपत्रित अधिकारी के रैंक से निम्न रैंक का न हो —सदस्य	लागू नही होता

[फा सं. यू —13034/33/96—जी पी]
थामस मैथ्यू, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th November, 1998

G.S.R. 253.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts in the Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police—India Reserve Battalion under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lakshadweep, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli Police India Reserve Battalion (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a sopuse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age, limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selecion post
1	2	3	4	5
1. Inspector of Police	7(1998)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 6500-200-10500	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8	9
No	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion/deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
10	11	12
Not applicable	By promotion failing which by deputation	Promotion: Sub Inspectors with 5 years of regular service in the grade. Deputation: Officers under the Union Territories of Lakshadweep, Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli/Central Para Military Force/ States/other Union Territories: (i) holding analogous posts on a regular basis or (ii) Sub Inspectors with 5 years regular service in the grade. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not ordinarily exceed 3 years.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee shall be constituted with the following composition: 1. Commandant, India Reserve Battalion—Chairman 2. Assistant Commandant/Deputy Superintendent of Police, India Reserve Battalion—Member 3. Gazetted Officer to represent Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Minorities—Member	Not applicable

1	2	3	4	5
2. Sub Inspector	23(1998)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Not applicable

6	7	8	9
No.	Between 18 and 25 years (cut off date for age will be 1st January every year). The upper age limit relaxable : (i) Upto 3 years for Other Backward Classes (ii) Upto a maximum of five years for candidates belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe. The age concession for ex-servicemen and departmental candidates shall be allowed in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time but restricted to the maximum age of 30 years.	Essential: Graduation or equivalent from a recognised University. Desirable: Possession of NCC "B" or "C" Certificate or Outstanding Sports or athletic Certificates. Physical standard: The candidates should meet the following requirements:— (i) Chest : 80 cms (85 cms. after expansion) (ii) Height : 165 cms. (iii) Weight : Correspnding to height as per medical standards. Medical Standards : (a) Eye sight Distant vision: Better eye 6/6, Worse eye (corrected vision) 6/12 or 6/9, 6/9 Near vision: corrected J.I, vision J.II To pass the colour vision test (b) The candidates must not have knock knees, flat feet, vericose vein or squint eyes. They must be in good mental and bodily health and free from physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. Training : The selected candidates will have to successfully undergo Police Training of Sub Inspectors at the Central/State Police Training School/College.	Not applicable

10	11	12
2 years	(1) 50% by direct recruitment of which 50% from natives of Union Territories of Lakshadweep including wards of Government servants of Union Territory of Lakshadweep and 50% from natives of Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli including wards of Government servants of Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. (2) 25% by direct recruitment from serving personnel of India Reserve Battalion/	Promotion: Assistant Sub Inspectors who have completed 10 years regular service in the grade, failing which combined regular service of 12 years in the posts of Assistant Sub Inspectors and Head Constable, failing both, Head Constables having 12 years of regular service in the grade. Both Assistant Sub Inspectors and Head Constables are required to pass the promotion test conducted from time to time

11	12
Police Personnel of Lakshadweep, Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli. (3) 25% by promotion failing which by deputation (including short-term contract)/ transfer.	and also undergo successfully the Sub Inspectors training course in Central/ State Police Training School/College. Deputation: Officers of the Union Territory Administrtions of Lakshadweep, Daman, Diu and Dadara and Nagar Haveli. (1) holding analogous posts on regular basis, or (2) Assistant Sub Inspectors in the grade of Rs. 4000-100-6000 or equivalent having 10 years regular service in the grade possessing necessary test qualifications and training, or (3) officers having combined regular service of 12 years in the posts of Assistant Sub Inspectors and Head Constables possessing necessary test qualification and training. Note : The departmental officers in the the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.

13	14
Departmental Promotion Committee shall be constituted with the following composition: (1) Commandant, India Reserve Battalion—Chairman (2) Assistant Commandant/Deputy Superintendent of Police, India Reserve Battalion—Member (3) A Gazetted Officer to represent the Schedule Caste/Schedule Tribe/ Minorities—Member	Not applicble

1	2	3	4	5
3. Assistant Sub Inspector	18(1998)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Not applicable

6	7	8	9
No	Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12
Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion : Head Constables who have 6 years of regular service in the grade and have passed the promotion test conducted by the Department. Deputation : (1) Officers holding analogous posts on a regular basis in Union Territory Police/Central Para Military Forces/State Police. (2) Head Constables with 6 years regular service in the grade in Union Territory Police/Central Para Military Forces/State Police. Note : Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation shall not exceed 3 years.

13	14
Departmental Promotion Committee shall be constituted with the following composition: 1. Commandant India Reserve Battalion—Chairman. 2. Assistant Commandant/Deputy Superintendent of Police India Reserve Battalion—Member 3. Representative of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Minorities not below the rank of a Gazetted Officer.—Member	Not applicable

1	2	3	4	5
4. Head Constable	160(1998)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 3200-85-4900	Not applicable

6	7	8	9
No	Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12
Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion : Police Constables who have completed 6 years of regular service and have passed the Head Constables test conducted by the Department. Deputation : Constables under Union Territory Police/Central Para Military Forces/State Police— (1) holding analogous posts on a regular basis as Constables with 6 years service. Note : Constables in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years.

13	14
Departmental Promotion Committee shall be constituted with the following composition : 1. Commandant India Reserve Battalion—Chairman 2. Assistant Commandant/Deputy Superintendent of Police India Reserve Battalion—Member. 3. Representative of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Minorities not below the rank of a Gazetted Officer—Member	Not applicable.

1	2	3	4	5
5. Constable	675 (1998)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-	Not applicable

6	7	8	9
No	(a) Between 18 and 25 years (cut off date for age will be 1st of January every year). The upper age relaxable by (i) 5 years for Schedule Caste/Schedule Tribe (ii) 3 years for Other Backward Classes	Educational Qualification : Senior School Leaving Certificate/ Matriculation or equivalent. Physical Standards: (a) Height : 165 cms. (b) Chest : Unexpanded 80 cms. Expanded 85 cms. (c) Weight ; Proportionate to height as per medical standards. Medical Standards: (a) Eye sight Distant vision: Better eye (corrected vision) 6/6, Worse eye 6/12 or Better eye 6/9, Worse eye 6/9 Near vision corrected vision: J.I, J.II	Not applicable

6	7	8	9
		To pass the colour vision test. The candidates must not have knock knees flat feet vericose vein or squint in eyes. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. Training : The selected candidates will undergo police training at the Central/State Police Training School/College and pass the training.	

10	11	12
2 years	By direct recruitment—50% natives of Union Territory of Lakshadweep including wards of Government servants of Union Territory of Lakshadweep and 50% from natives of Daman Diu and Dadra and Nagar Haveli including wards of Government servants of Union Territories of Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli.	Not applicable

13	14
Departmental Promotion Committee shall be constituted with the following composition for the purpose of confirmation: 1. Commandant India Reserve Battalion—Chairman 2. Assistant Commandant/Deputy Superintendent of Police India Reserve Battalion—Member 3. Representative of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Minorities not below the rank of a Gazetted Officer—Member	Not applicable

[F.No.U-13034/33/96-GP]

THOMAS MATHEW, Director

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1998

सा.का.नि. 254.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 का 471 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1996 की अनुसूची में :—

(1) क्रम सं. 1 पर, सहायक कमांडर श्रेणी-I/II पद के सामने स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"श्रेणी-I 6500-200-10,500/- रुपये

श्रेणी-II 5500-175-9,000/- रुपये"

(2) क्रम सं. 2 पर, सहायक कमांडर (संचार श्रेणी-1/2/3 पद के सामने स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"श्रेणी-1 6500-200-10,500/- रुपये
श्रेणी-2 5500-175-9,000/- रुपये
श्रेणी-3 4000-100-6,000/- रुपये";

(3) क्रम सं. 3 पर, सहायक कमांडर (भेषजग/प्रयोगशाला तकनीशियन /सहायक मैट्रन/नर्सिग सिस्टर) श्रेणी-1/2/3, पद के सामने स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"श्रेणी-1 6,500-200-10,500/- रुपये
श्रेणी-2 5,500-175-9,000/- रुपये
श्रेणी-3 4,000-100-6,000/- रुपये";

(4) क्रम सं. 4 पर, सहायक, कमांडर (मोटर मैकेनिक/परिवहन) श्रेणी-1/2 के पद के सामने स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"श्रेणी-1 6,500-200-10,500/- रुपये
श्रेणी-2 5,500-175-9,000/- रुपये";

(5) क्रम सं. 5 पर, सहायक कमांडर (नक्शा नवीस) श्रेणी-1/2 पद के सामने स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"श्रेणी-1 6,500-200-10,500/- रुपये
श्रेणी-2 5,500-175-9,000/- रुपये" ;

(6) क्रम सं. 6 पर सहायक कमांडर (अनुदेशक) श्रेणी-1/2 पद के सामने स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"श्रेणी-1 6,500-200-10,500 /- रुपये
श्रेणी-2 5,500-175-9,000/- रुपये";

(7) क्रम सं. 7 पर, सहायक कमांडर (लिपिक वर्गीय/वैयक्तिक सहायक आशुलिपिक) श्रेणी-1/2/3, पद के सामने, स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"श्रेणी-1 6,500-200-10,500/- रुपये
श्रेणी-2 5,500-175-9,000/- रुपये
श्रेणी-3 4,000-100-6000/- रुपये ";

(8) क्रम सं. 8 पर, सहायक कमांडर (पुस्तकालयाध्यक्ष) श्रेणी-2 पद के सामने स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"श्रेणी-2 5,500-175-9,00 0/- रुपये" ;

(9) क्रम सं. 9 पर, हिंदी अनुवादक (सहायक कमांडर श्रेणी-2), पद के सामने स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"श्रेणी-2 5,000-150-8000/- रुपये";

(10) क्रम सं. 10 पर हिंदी टाइपिस्ट (सहायक कमांडर श्रेणी-3) पद के सामने, स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात् :—

"श्रेणी-3 3,050-75-3,950-80-4,590 रुपये";

(11) क्रम सं. 11 पर, रेंजर-1, रेंजर-2, सी टी एम पद के सामने, स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"रेंजर-1 3,200-85-4,900 रुपये
रेंजर-2 3,050-75-3,950-80-4,590/-रुपये";
सी.टी.एम.

(12) क्रम सं. 12 पर, सहायक लेखा अधिकारी पद के सामने, स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
"5,500-175-9,000/- रुपये" ;

(13) क्रम सं. 13 पर, ज्येष्ठ लेखाकार/लेखाकार पद के सामने, स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"ज्येष्ठ लेखाकार 5,000-150-8000/- रुपये
लेखाकार 4,000-100-6000/- रुपये";

(14) क्रम सं. 14 पर, आशुलिपिक श्रेणी "ब" पद के सामने, स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"4,000-100-6,000/- रुपये";

(15) क्रम सं. 15 पर, निम्न श्रेणी लिपिक पद के सामने, स्तंभ सं. 4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—
"3,050-75-3,950-80-4,590/- रुपये";

(16) क्रम सं. 1 से 15 पर सभी पदों के सामने, स्तंभ सं. 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—
"प्रतिनियुक्ति"

(17) क्रम सं. 1 से 15 पर, सभी पदों के सामने, स्तंभ सं. 12 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति"

[सं. ई-307/2/98-एन.एस.जी./पर्स-3]
समीर शर्मा, उप सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. सं. 348, तारीख 24-8-96 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th December, 1998

G.S.R. 254.—In exercise of the powers conferred by section 139 of the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Security Guard (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Security Guard (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Security Guard Group 'C' posts Recruitment Rules, 1996 :—

(i) At Sl. No. 1, against the post Assistant Commander, Grade-I|Grade-II, for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Grade-I Rs. 6,500-200-10,500 Grade-II Rs. 5,500-175-9,000";

(ii) At Sl. No. 2, against the post of Assistant Commander (Communication) Grade-I|II|III, for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Grade-I Rs. 6,500-200-10,500 Grade-II Rs. 5,500-175-9000 Grade-III Rs. 4,000-100-6,000";

(iii) At Sl. No. 3, against the post of Assistant Commander (Pharmacist|Lab. Tech.|Asstt. Matron|Nursing Sister) Grade-I|II|III, for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Grade-I Rs. 6,500-200-10,500 Grade-II Rs. 5,500-175-9,000 Grade-III Rs. 4,000-100-6,000";

(iv) At Sl. No. 4 against the post of Assistant Commander (Motor Mechanic|Transport) Grade-I|II for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Grade-I Rs. 6,500-200-10,500 Grade-II Rs. 5,500-175-9,000";

(v) At Sl. No. 5 against the post of Assistant Commander (Draughtman) Grade-I|II for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Grade-I Rs. 6,500-200-10,500 Grade-II Rs. 5,500-175-9,000";

(vi) At Sl. No. 6 against the post of Assistant Commander (Instructor) Grade-I|II for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Grade-I Rs. 6,500-200-10,500 Grade-II Rs. 5,500-175-9,000";

(vii) At Sl. No. 7 against the post of Assistant Commander (Clerical|PAs Stenographer) Grade-I|II|III for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Grade-I Rs. 6,500-200-10,500 Grade-II Rs. 5,500-175-9,000 Grade-III Rs. 4,000-100-6,000";

(viii) At Sl. No. 8 against the post of Assistant Commander (Librarian) Grade-II for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Grade-II Rs. 5,500-175-9,000";

(ix) At Sl. No. 9 against the post of Hindi Translator (Assistant Commander Grade-II) for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Grade-II Rs. 5,000-150-8,000";

(x) At Sl. No. 10 against the post of Hindi Typist (Assistant Commander Grade-III) for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 3,050-75-3,950-80-4,590";

(xi) At Sl. No. 11 against the post of Ranger-I, Ranger-II, CTM for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Ranger-I Rs. 3,200-85-4,900 Ranger-II, CTM Rs. 3,050-75-3,950-80-4,590";

(xii) At Sl. No. 12 against the post of Assistant Accounts Officers for the entries relating to column No. 4 the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 5,500-175-9,000";

(xiii) At Sl. No. 13 against the post of Senior Accountant|Accountant for the entries

relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Senior Accountant Rs. 5,000-150-8,000 Accountant Rs. 4,000-100-6,000";

(xiv) At Sl. No. 14 against the post of Stenographer Grade-'D' for the entries relating to column No. 4 the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 4,000-100-6,000";

(xv) At Sl. No. 15 against the post of Lower Division Clerk for the entries relating to column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 3,050-75-3,950-80-4,590";

(xvi) At Sl. No. 1 to 15 against all posts, for the entry in column No. 11, the following shall be substituted, namely :—
"Deputation"

(xvii) At Sl. No. 1 to 15 against all posts, for the entry in column No. 12, the following shall be substituted, namely :—

"Deputation"

[No. E-307/2/98-NSG-Pers. III]
SAMEER SHARMA, Dy. Secy.

Foot Note :—The Principal rules were published vide GSR-348 dated 24-8-96.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(स्वापक नियंत्रण प्रभाग)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1998

सा.का.नि. 255.—स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36-ग के साथ पठित आपराधिक प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 से उत्पन्न होने वाले मामलों के प्रयोजनार्थ तमिलनाडु राज्य के उच्च न्यायालय तथा विचारण न्यायालयों में निम्नोक्त वकीलों की केन्द्रीय सरकार की ओर से अभियोजनहेतु विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति अवधि को 5-5-98 से और तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ाती है :—

1.	श्री पी. राजामणिकम	तमिलनाडु राज्य में उच्च न्यायालय तथा विचारण न्यायालयों हेतु विशेष लोक अभियोजक
2.	श्री पी. एन. प्रकाश	तमिलनाडु राज्य में उच्च न्यायालय तथा विचारण न्यायालयों हेतु विशेष लोक अभियोजक ।

बढ़ायी गई अवधि के दौरान निम्नलिखित फीस देय होगी :

श्री पी. राजामणिकम के लिए

1.	शिकायत का प्रारूप तैयार करने के लिए फीस	रु. 500/- प्रति मामला
2.	प्रभावी सुनवाई के लिए शुल्क (सुनवाई में शामिल है अभियुक्त को रिमांड के लिए प्रस्तुत करना अभियुक्त को आगे रिमांड के लिए वकालत तथा सुनवाई के अलावा अभियोजन के दौरान जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना । इस प्रकार के प्रत्येक अवसर को एक अलग सुनवाई माना जएगा ।	रु. 1200/- प्रति दिन
3	अप्रभावी सुनवाई के लिए शुल्क	रु. 600 प्रतिदिन
4.	परामर्श/सम्मेलन प्रभार	रु. 150 प्रति सम्मेलन

श्री पी. एन. प्रकाश के लिए

1.	शिकायत का प्रारूप तैयार करने का शुल्क	रु. 400/- प्रति मामला
2.	प्रभावी सुनवाई के लिए शुल्क (सुनवाई में शामिल है अभियुक्त को रिमांड के लिए प्रस्तुत करना, अभियुक्त को आगे रिमांड के लिए वकालत तथा सुनवाई के अलावा अभियोजन के दौरान जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना । इस प्रकार के प्रत्येक अवसर को एक अलग सुनवाई माना जाएगा ।	रू. 750/- प्रतिदिन
3	अप्रभावी सुनवाई के लिए शुल्क	रु. 375- प्रतिदिन
4	परामर्श/सम्मेलन प्रभार	रु. 100- प्रति सम्मेलन

अन्य शर्तें एवं निबन्धन वही होंगे जो उन पर पहले ही से लागू है ।

[फा. सं. IV 10/94-एन सी बी (विधिक)]
एस. कुमार, उप विधिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Narcotics Control Division)

New Delhi, the 2nd December, 1998

G. S. R. 255.—In exercise of the powers conferred by such section (8) of section 24 of the

Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) read with Secti 36C of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby extend the tenure of appointments of the follwoing advocates as Special Public Prosecutors for conducting cases arising out of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 on behalf of Central Government for a period of three years with effect fro m 5-5-98 before the High Court and Trial Courts in the State of Tamil Nadu.

1. Shri P. Rajamanickam — Special Public Prosecutor for High Court and Trial Courts in the State of Tamil Nadu.
2. Shri P. N. Prakash — Special Public Prosecutor for Trial Courts in the State of Tamil Nadu.

The fees payable during the period of extention will be as under :

For Shri P. Rajamanickam

(1) Fees for drafting complaint — Rs. 500/- per case

(2) Fees for effective hearing — Rs. 1200 - per day

(hearing includes producing the accused with request for remand, pleading for further remaned of accused and opposing of bail applications apart from hearing during the prosecution. Each of these occasions will be treated as separate hearing).

(3) Fees for non-effective hearing — Rs. 600/- per day

(4) Consultation/Conference charges — Rs. 150/- per conference

For Shri P. N. Prakash

(1) Fees for drafting complaint — Rs. 400/- per case

(2) Fees for effective hearing — Rs. 750/- per day

(hearing includes producing the accused with request for remand, pleading for further remand of accused and opposing of bail applications apart from hearing during the prosecution. Each of these occasions will be treated as separate hearing).

(3) Fees for non-effective hearing — Rs. 375/- per day

(4) Consultation/Conference charges — Rs. 100/- per conference

Other terms and conditions are as applicable to them earlier.

3353 GI/98—4.

[F. No IV/10/94-NCB, (Legal)]

S. KUMAR, Dy. Legal Adviser

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

(केन्द्रीय बायलर बोर्ड)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1998

सा.का.नि. 256.—केन्द्रीय बायलर बोर्ड, भारतीय अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 31 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारतीय बायलर विनियम, 1950 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है जिसके इनसे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि और इसके सर्वसाधारण को उपलब्ध होने के 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जायेगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय बायलर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा, उक्त आक्षेप या सुझाव, सचिव केन्द्रीय बायलर बोर्ड, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 के नाम भेजें।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को भारतीय बायलर (द्वितीय संशोधन) विनियम, 1998 कहा जायेगा।

2. भारतीय बायलर विनियम, 1950 (जिन्हें तत्पश्चात् उक्त विनियम कहा जायेगा) में, विनियम 3 में, उप-विनियम (5), (6) व (7) हटा दिये जायेंगे;

3. उक्त विनियमों में, विनियम 4ए के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"(4) "सुप्रसिद्ध इस्पात निर्माता", "सुप्रसिद्ध ट्यूब/पाईप निर्माता", "सुप्रसिद्ध फाउण्ड्री" या "सुप्रसिद्ध फोर्ज" के रूप में मान्यता चाहने वाली विदेशी कम्पनियों को, मल्यांकन समिति के दौरे के खर्च हेतु भरे हुए प्रश्नमाला फार्म के साथ दस हजार अमरीकी डालर शुल्क के रूप म जमा करने होंगे :

परन्तु जहां कम्पनी का उसी देश में एक से अधिक निर्माण कारखाना हो तो ऐसी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिये दो हजार अमरीकी डालर की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा करनी होगी।

(4ए) मूल्यांकन समिति शुल्क प्राप्ति के 120 दिन तक निर्माण शाला कीप मूल्यांकन करेगी।"

4. उक्त विनियमों में, विनियम 8 में, उपविनियम (बी) व उससे निम्नलिखित टिप्पणी हटा दी जायेगी :—

5. उक्त विनियमों में, विनियम 382 में, उप-विनियम (ए) में, राज्यों व संघ क्षेत्रों और उनके विशिष्ट अक्षरों की सूची में,—

(क) प्रविष्टि "बिहार · · · · · वी आर" के पश्चात्, निम्नलिखित निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—
"दादरा और नगर हवेली · · · · · डी एन एच",

(ख) प्रविष्टि "हिमाचल प्रदेश · · · · एच पी" के पश्चात्, निम्नलिखित निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:—
"कर्नाटक · · · · · के टीके",

(ग) प्रविष्टि "मैसूर · · · · · एम वाई एस" हटा दी जायेगी ।

6. उक्त विनियमों में, विनियम 622 में, उप-विनियम (ए) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ए) (i) धारा 7 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र के साथ दी जाने वाली शुल्क पांच सौ रुपये प्रति बायलर होगी ।

(ii) वार्षिक निरीक्षण शुल्क पांच सौ रुपये प्रति बायलर होगी ।"

[मिसिल सं. 6(8)/98—बायलर]
वी. के. गोयल, सचिव, केन्द्रीय बायलर बोर्ड

पाद टिप्पण :—मूल विनियम एस.आर.ओ. संख्या 600, दिनांक 15 सितम्बर, 1950 में केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये थे व अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचना से संशोधित किये गये थे :—

(1) सा.का.नि. संख्या 178 दिनांक 24 मार्च, 1990
(2) सा.का.नि. संख्या 179 दिनांक 24 मार्च, 1990
(3) सा.का.नि. संख्या 488 दिनांक 9 अक्तूबर, 1996
(4) सा.का.नि. संख्या 516 दिनांक 23 अक्तूबर, 1993
(5) सा.का.नि. संख्या 634 दिनांक 25 दिसम्बर, 1993
(6) सा.का.नि. संख्या 107 दिनांक 26 फरवरी, 1994
(शुद्धि पत्र सा.का.नि. संख्या 223 दिनांक 14 मई, 1994)
(7) सा.का.नि. संख्या 250 दिनांक 4 जून, 1994
(8) सा.का.नि. संख्या 402 दिनांक 12 अगस्त, 1994
(9) सा.का.नि. संख्या 427 दिनांक 20 अगस्त, 1994
(10) सा.का.नि. संख्या 562 दिनांक 12 नवम्बर, 1994
(11) सा.का.नि. संख्या 607 दिनांक 10 दिसम्बर, 1994
(12) सा.का.नि. संख्या 83 दिनांक 25 फरवरी, 1995
(13) सा.का.नि. संख्या 93 दिनांक 4 मार्च, 1995
(14) सा.का.नि. संख्या 488 दिनांक 9 नवम्बर, 1996
(15) सा.का.नि. संख्या 582 दिनांक 28 दिसम्बर, 1996
(16) सा.का.नि. संख्या 59 दिनांक 25 जनवरी, 1997
(17) सा.का.नि. संख्या 117 दिनांक 1 मार्च, 1997
(18) सा.का.नि. संख्या 172 दिनांक 29 मार्च, 1997

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

(Central Boilers Board)

New Delhi, the 10th December, 1998

G.S.R. 256.—The following draft of certain regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 31 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date the Gazette containing the publication of this notification is made available to the public;

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the asid draft within the period so specified will be considered by the Central Boilers Board. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Udyog Bhavan, New Delhi.

DRAFT REGULATIONS

1. These regulations may be called the Indian Boiler (Second Amendment) Regulations, 1998.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, sub-regulations (5), (6) and (7) shall be omitted.

3. In the said regulations, in regulation 4A, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

"(4) In case of firms in foreign countries seeking recognition as "Well known Steel Maker", "Well known Pipe/Tube maker", "Well known Foundry" or "Well known Forge", a fee of US $ 10,000/- (Ten Thousand US Dollars) to meet the expenses of the visit of the Evaluation Committee shall be deposited along with the completed Questionnaire form.

Provided that where the firm has more than one manufacturing unit in the same country, an additional fee at the rate of US $ 2000/- (Two Thousand US Dollars) per additional unit shall be deposited.

(4A) The Evaluation Committee shall carry out the evaluation of the manufacturing works of the firm within 120 days of receipt of the fees."

4. In the said regulations, in regulation 8, sub-regulation (b) and the note thereunder shall be omitted.

5. In the said regulations, in regulation 382, in sub-regulation (a), in the list of States and Union Territories with their distinguishing letters,—

(i) after the entry "Bihar ..... BR", the following shall be inserted, namely :—
"Dadra and Nagar Haveli ..... DNH";

(ii) after the entry "Himachal Pradesh .... HP", the following shall be inserted, namely :—
"Karnataka ..... KTK";

(iii) the entry "Mysore ..... MYS" shall be omitted.

6. In the said regulations, in regulation 622, for sub-regulation (a), the following sub-regulation shall be substituted, namely :

"(a) (i) The fee required to accompany an application under sub-section (1) of section 7 shall be rupees five hundred per boiler.

(ii) The annual inspection fee shall be five hundred rupees per boiler."

[F. No. 6(8)/98-Boilers]
V. K. GOEL, Secy.,
Central Boilers Board

Footnote :—The principal regulations were published in the Gazette of India as S.R.O. 600 dated 15th September, 1950 and last amended vide Gazette notifications—

(i) GSR 178 dated 24th March, 1990;
(ii) GSR 179 dated 24th March, 1990;
(iii) GSR 488 dated 9th October, 1993;
(iv) GSR 516 dated 23rd October, 1993;
(v) GSR 634 dated 25th December, 1993;
(vi) GSR 107 dated 26th February, 1994; Errate GSR 223 dated 14th May, 1994;
(vii) GSR 250 dated 4th June, 1994;
(viii) GSR 402 dated 13th August, 1994;
(ix) GSR 427 dated 20th August, 1994;
(x) GSR 562 dated 12th November, 1994;
(xi) GSR 607 dated 10th December, 1994;
(xii) GSR 83 dated 25th February, 1995;
(xiii) GSR 93 dated 4th March, 1995;
(xiv) GSR 488 dated 9th November, 1996;
(xv) GSR 582 dated 28th December, 1996;
(xvi) GSR 59 dated 25th January, 1997;
(xvii) GSR 117 dated 1st March, 1997;
(xviii) GSR 172 dated 29th March, 1997.

नागर विमानन मंत्रालय

(रेल संरक्षा आयोग)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1998

सा.का.नि. 257.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गंभीर रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की जांच :—

(1)(क) जहां रेल संरक्षा आयुक्त को, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 113 के अधीन किसी ऐसी दुर्घटना के घटित होने की सूचना मिले, जिसे वह इतनी गंभीर समझता हो कि उसकी जांच करना उचित हो, तो वह, यथासंभव शीघ्र, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, रेलवे बोर्ड और संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को, जांच करने के अपने अभिप्राय की सूचना देगा और साथ ही जांच की तारीख, समय व स्थान नियत करेगा और संसूचित करेगा। इस संबंध में वह एक प्रेस नोट भी जारी करेगा या कराएगा जिसमें जांच में साक्ष्य देने या दुर्घटना के संबंध में, अपने कार्यालय के पते पर, सूचना भेजने के लिए जनसाधारण को आमंत्रित किया जायेगा ।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्त, जांच करने का अपना अभिप्राय पूर्वोक्त रूप में अधिसूचित करते समय संबंधित राज्य के मुख्य सचिव, संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भी सूचित करेगा ।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए यात्रियों का वहन करने वाली रेलगाड़ी के साथ घटित हर गंभीर दुर्घटना जिसमें गाड़ी में यात्री या यात्रियों की जनहानि हुई हो, या जिस गाड़ी में किसी यात्री या यात्रियों को, भारतीय दंड संहिता में यथा परिभाषित घोर उपहति हुई हों, या जिसमें रेल सम्पति की पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की गंभीर क्षति पहुंची हो या कोई अन्य दुर्घटना जिस की मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेल संरक्षा आयुक्त की राय में जांच करना अपेक्षित हो, ऐसी गंभीर किस्म की दुर्घटना समझी जाएगी , जिसकी जांच करना अपेक्षित है ।

ये दुर्घटनाए "गंभीर दुर्घटनाएं" मानी जाएगी ।

(3) किसी भी दुर्घटना के लिए मुख्य आयुक्त स्वयं जांच कर सकता है या किसी रेल संरक्षा आयुक्त को ऐसा करने के लिए निर्देशित कर सकता है ।

स्पष्टीकरण :—जांच केवल उन मामलो में बाध्यकारी होगी जहां यात्री जो मरे है या जिन्हें घोर उपहति पहुंची है यात्री वहन करने वाली रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। यदि दुर्घटना में लिप्त यात्री वहन करने वाली रेलगाड़ी से कोई रेल सेवक मर जाता है या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है इस बात को विचार में लाए बिना कि वह यात्री गाड़ी में यात्रा कर रहा था या नहीं, इस नियम के अंतर्गत जांच बाध्यकारी होगी । यद्यपि, यदि व्यक्ति रेल सेवक है या उसके पास विधिमान्य पास या टिकट है या अन्यथा यात्री गाड़ी के 'चल स्टाक' के बाहर यात्रा (जैसे फुटबोर्ड या छत या बफर्स पर लेकिन गाड़ियों के मध्य वैस्टीब्यूल के अन्दर छोड़कर) कर रखा हो, मर जाता है या गम्भीर रूप से उपहत हो जाता है, या समपार या रेल पथ पर कहीं और गाड़ी के नीचे आ जाता है तो इस नियम के अधीन जांच बाध्यकर नहीं होगी ।

यदि समपार पर सड़क यान और सवारी गाड़ी के बीच टक्कर में कोई भी रेल यात्री न मरे या गंभीर रूप से उपहत न हो तो जांच करना बाध्यकर नहीं होगा ।

इस नियम के प्रयोजन के लिए कर्मकार गाड़ियां या गिट्टी गाड़ियां या समान ढोने वाली गाड़ियां या दुर्घटना सहायता गाड़ियां या टावर वैगन या कर्मकारों का वहन करने वाली ऐसी ही अन्य गाड़ियां या पशु स्पेशल या मिलिटरी स्पेशल जो प्राधिकृत अनुरक्षकों को ले जा रही हो या इसी तरह की ऐसी गाड़ियों को भी यात्री गाड़ी माना जायेगा और कर्मकार या अनुरक्षक के ट्रेन दुर्घटना के कारण मारे जाने या गंभीर रूप से उपहति होने की स्थिति में, इस नियम के अधीन जांच करना बाध्यकर होगा ।

(4) जब ऐसी दुर्घटना जिसमें जांच करना अपेक्षित हो, किसी ऐसे स्टेशन पर घटित हो, जो दो या दो से अधिक रेल संरक्षा आयुक्तों की अधिकारिता में आता है, तो इस नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व उस रेल संरक्षा आयुक्त का होगा जिसकी अधिकारिता में उस स्टेशन का संचालन करने वाली रेलवे पड़ती है। किसी भी प्रकार की शंका के मामले में उसका विनिश्चय मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त करेगा ।

(5) (क) यदि, किसी कारण वश संबंधित रेल संरक्षा आयुक्त किसी ऐसी दुर्घटना के घटित होने के बाद दुर्घटना की शीघ्र जांच करने में असमर्थ हो तो वह किसी भी त्वरित संचार माध्यम बिना विलम्ब के मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को उन कारणों को सूचित करेगा जिनके कारण उसके द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। मुख्य आयुक्त स्वयं जांच करने का चयन या किसी आयुक्त को जांच करने का निर्देश या रेलवे प्रशासन द्वारा जांच करने देने का विनिश्चय कर सकता है। संबंधित आयुक्त इसके पश्चात तदनुसार रेल प्रशासन और रेलवे बोर्ड को अधिसूचित करेगा।

(ख) रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जांच) (नियम, 1998 के नियम 15 के अनुसार. रेल प्रशासन के प्रधान से संयुक्त जांच (रेल अधिकारियों की समिति द्वारा की गई जांच) की कार्यवाही के मिलने पर, रेल संरक्षा आयुक्त उसकी समीक्षा करेगा और यदि वह संयुक्त जांच के निष्कर्ष से सहमत है तो वह रिपोर्ट की प्रति मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को निष्कर्ष के बारे में अपने विकार सिफारिशों सहित अग्रेषित करेगा। यदि आयुक्त अनुभव करता है, तो वह रेल प्रशासन को या तो नए सिरे से जांच करने या विशिष्टि मुद्दों को पुनः परीक्षण करने और संशोधित निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकता है। यदि दूसरी ओर, संयुक्त जांच की कार्यवाही पर विचार कर लेने के बाद, रेल संरक्षा आयुक्त समझता है कि स्वयं उसके द्वारा जांच की जानी चाहिए तो वह यथासंभव शीघ्र मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे बोर्ड और संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को जांच करने के अपने अभिप्राय की सूचना देगा और उसी समय जांच की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और संसूचित करेगा।

(6) यदि दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन, दुर्घटना की जांच करने के लिए किसी जांच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या उसकी जांच के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो, और इसके प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के सभी अथवा कोई उपबन्ध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिए हों तो रेल संरक्षा आयुक्त, जिसे दुर्घटना की सूचना दे दी गई है, अपनी ओर से जांच नहीं करेगा और यदि उसने जांच पहले ही आरंभ कर दी हो तो उसे और आगे नहीं बढ़ाएगा, तथा जांच से संबंधित साक्ष्य अभिलेख या अन्य दस्तावेज जो उसके कब्जे में हों, ऐसे प्राधिकारी के सुपुर्द करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया हो।

3. रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा संक्षिप्त प्रारंभिक वर्णनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना—

यदि रेल संरक्षा आयुक्त ने किसी दुर्घटना की बाबत जांच नियम 2 के उपनियम (2) के अधीन की है तो वह संक्षिप्त प्रारंभिक वर्णनात्मक रिपोर्ट मुख्य

रेल संरक्षा आयुक्त और रेलवे बोर्ड को एक साथ प्रस्तुत करेगा। उस दशा में जब मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने नियम 2(3) और 2(6) के निबंधनों के अनुसार जांच की है तो वह संक्षिप्त प्रारंभिक वर्णनात्मक रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट तथ्यात्मक होगी और इसमें अलिप्त व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया जायेगा।

4. रेल संरक्षा आयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करना—

जब कभी रेल संरक्षा के आयुक्त ने नियम 2 के अधीन जांच की हों, तो वह मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को लिखित गोपनीय रिपोर्ट पेश करेगा और रिपोर्ट की एक-एक प्रति :—

(i) रेलवे बोर्ड को;

(ii) सभी क्षेत्रीय रेलों के रेल प्रशासन को;

(iii) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन के नियंत्रणाधीन रेल के मामले में ऐसी राज्य सरकार अथवा प्रशासन को, यदि दुर्घटना उस रेल में घटित हुई हो ;

(iv) अन्य रेल संरक्षा आयुक्तों को, और

(v) यदि रेल संरक्षा आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे दुर्घटना तोड़-फोड़ की कार्रवाई या गाड़ी गिराने के कारण हुई है, तो निदेशक, उपसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजेगा।

(2) यदि जांच मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई है तो वह रिपोर्ट को उपनियम (1) के खण्ड (i) से (v) में वर्णित प्राधिकारियों को प्रेषित करेगा।

5. रिपोर्टों का प्रकाशन —

(1) रिपोर्टों के प्रकाशन के संबंध में सिफारिश मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त करेगा और तदनुसार रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) को सूचित करेगा।

(2) यदि मुख्य आयुक्त की सिफारिशों से रेलवे बोर्ड असहमत है तो मामले पर अंतिम विनिश्चय केन्द्रीय सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) द्वारा किया जाएगा।

6. जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि का रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जा रही जांच में हाजिर रहना—

जहां रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जांच) नियम, 1998 के नियम 17 के खण्ड (क) या (ख) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच न की जा रही हो, वहां जिला मजिस्ट्रेट, यथासंभव रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई जांच में स्वयं हाजिर रहेगा या ऐसी जांच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगा।

7. जिला पुलिस अधीक्षक या उसका प्रतिनिधि–

जिला पुलिस अधीक्षक, रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई जांच में यथासंभव स्वयं हाजिर रहेगा या ऐसी जांच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगा।

8. तकनीकी मामलों को स्पष्ट करने में रेल संरक्षा आयुक्त का मजिस्ट्रेट अथवा जांच आयोग आदि की सहायता करना —

रेल संरक्षा आयुक्त, जब कभी उसे किन्हीं तकनीकी मामलों के स्पष्टीकरण में सहायता देने को कहा जाए, न्यायिक जांच या रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जांच) 1998 नियम 17 के अधीन जांच करने वाले मजिस्ट्रेट या जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जांच आयोग या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य प्राधिकारी की, जिस पर उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध लागू किए गए हों, यथासंभव सहायता करेगा।

9. रेल संरक्षा आयुक्त की शक्तियां—

नियम 2 के उपनियम (6) में उपबन्धित सीमा के सिवाय, इन नियमों की कोई भी बात, रेल संरक्षा आयुक्त को अधिनियम की धारा 7 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग को सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

10. निरसन और व्यावृत्ति—

(1) रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1973 निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्संबंधित उपबंधों के आधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।

[फा.सं. एस-11011/1/95-आर एस]

प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(Commission of Railway Safety)

New Delhi, the 17th December, 1998

G.S.R. 257.—In exercise of the powers conferred by section 122 of the Railways Act, 1989

(24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) (a) Inquiry into a serious accident by the Commissioner of Railway Safety.—Where the Commissioner of Railway Safety receives notice under section 113 of the "Railways Act, 1989 (24 of 1989) hereinafter referred to the Act, of the occurrence of an accident which he considers of a sufficiently serious nature to justify such a course, he shall, as soon as may be, notify the Chief Commissioner of Railway Safety, the Railway Board and the Head of the Railway Administration concerned of his intention to hold an inquiry and shall, at the same time, fix and communicate the date, time and place for the inquiry. He shall also issue or cause to be issued a Press Note in this behalf inviting the public to tender evidence at the inquiry and send information relating to the accident to his office address.

(1) (b) While notifying his intention to hold an inquiry as aforesaid, the Commissioner of Railway Safety shall also inform or cause to inform the Chief Secretary of the State, the District Magistrate and the Superintendent of Police of the district concerned.

(2) For the purpose of this rule, every accident to a train carrying passengers which is attended with loss of life of a passenger or passengers in the train or with grievous hurt, as defined in the Indian Penal Code (hereinafter referred to as the grievously hurt, to a passenger or passengers in the train or with serious damage to railway property of a value exceeding twenty five lakh rupees and any other accident which in the opinion of the Chief Commissioner of Railway Safety or the Commissioner of Railway Safety requires the holding of an inquiry shall be deemed to be an accident of such a serious nature as to require the holding of an inquiry.

These accidents shall be termed as "Serious train accidents".

(3) However, for any accident the Chief Commissioner may either hold the inquiry himself or direct any Commissioner of Railway Safety to do so.

Explanation.—The inquiry under this rule shall be obligatory only in those cases where the passengers, killed or grievously hurt were travelling in the train carring passengers. If an accident involving a train carrying passengers leads to loss of life or grievous injury to any Railway Servant(s) irrespective of whether he was travelling in that passenger train or not, inquiry under this rule shall be obligatory. However, if a person being a railway servant or holding valid pass or ticket or otherwise travelling outside the Rolling Stock of a Passenger train (such as on foot-board or roof or buffers but excluding the inside of vestibules between coaches) is killed or grievously hurt, or is run over at a level crossing or elsewhere on the Railway track, an inquiry under this rule shall not be obligatory. Similarly, if in a collision between a road vehicle and a passenger train at a level crossing, no passenger in the train is killed or grievously hurt, it shall not be obligatory to hold an inquiry. For the purpose of this rule, workmen's trains or ballast trains or Material trains or Accident Relief Trains or Tower wagons or such other trains carrying workmen, or cattle specials/Military specials carrying authorised escorts or similar such trains shall also be treated as Passenger trains and in the event of a workman or escort being killed or grievously hurt as a result of an accident to the train, an inquiry under this rule shall be obligatory.

(4) When an accident requiring the holding of an inquiry occurs at a station where the jurisdictions of two or more Commissioners of Railway Safety meet, the duty of complying with this rule shall devolve on the Commissioner of Railway Safety within whose jurisdiction the railway working such station lies. At other such locations where the issue cannot be resolved then it shall be finalised by the Chief Commissioner of Railway Safety.

(5) (a) If, for any reason, the concerned Commissioner of Railway Safety is unable to hold an inquiry at an early date after the occurrence of such an accident, he shall intimate by the fastest means of communication without any delay to the Chief Commissioner of Railway Safety of the reasons why the inquiry cannot be held by him. The Chief Commissioner may choose to conduct the inquiry himself or direct any other Commissioner to take up the inquiry or decide to let the inquiry be conducted by the Railway Administration. The concerned Commissioner shall thereafter notify the Railway Administration and the Railway Board accordingly.

(b) On receipt of the proceedings of the joint inquiry (inquiry made by a Committee of railway officers) from the Head of the Railway Administration in accordance with rule 15 of Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1997, the Commissioner of Raliway Safety shall scrutinise the same, and in case he agrees with the findings of the joint inquiry, shall forward a copy of the report to the Chief Commissioner of Railway Safety alongwith his views on the findings and recommendations made. In case the Commissioner feels, he may direct the Railway Administration either to conduct inquiry de-novo or re-examine specific issues and submit revised findings. On the

other hand the Commissioner of Railway Safety, after examination of the joint inquiry proceedings, considers that an inquiry should be held by himself, he shall, as soon as possible, notify the Chief Commissioner of Railway Safety, the Railway Board, and the Head of the Railway Administration concerned, of his intention to hold an inquiry and he shall at the same time fix, and communicate the date, time and place for the inquiry.

(6) (a) Where having regard to the nature of the accident, the Central Government has appointed a Commission of Inquiry to inquire into the accident under the Commission or Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or has appointed any other authority to inquire into it and for that purpose has made all or any of the provisions of the said Act applicable to that authority, the Commissioner of Railway Safety to whom notice of the accident has been given shall not hold his inquiry and where he has already commenced his inquiry he shall not proceed further with it and shall hand over the evidence, records or other documents in his possession, relating to the inquiry, to such authority as may be specified by the Central Government in this behalf.

(b) If, as a result of the Police Investigation a regular case is lodged in a Criminal Court by the Police or arising out of the accident, a case is lodged in a Civil Court by interested person(s), the Commissioner shall finalise his Report and circulate the same as per rule 4, as a strictly confidential document.

3. Commissioner of Railway Safety to submit a brief preliminary narrative report.—Where a Commissioner of Railway Safety has held an inquiry in respect of any of the accidents described in sub-rule (2) of rule 2, he shall submit a brief preliminary narrative report to the Chief Commissioner of Railway Safety and the Railway Board simultaneously. In case Chief Commissioner of Railway Safety has held an inquiry in terms of rules 2(3) and 2(5) he shall submit the brief preliminary narrative Report to the Railway Board. The report shall be factual and shall not contain any reference to persons implicated.

4. Commissioner of Railway Safety to submit a report.—(1) Whenever the Commissioner of Railway Safety has made an inquiry under rule 2, he shall submit a confidential report in writing to the Chief Commissioner of Railway Safety and shall forward copies of the report to —

(i) the Railway Board;

(ii) the railway administration of all the Zonal Railways;

(iii) in the case of a railway under the control of a State Government or Local Administration to such Government or administration if the accident has occurred in that Railway;

(iv) other Commissioner of Railway Safety;

(v) the Director, Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, if the Commissioner of Railway find that the accident was caused by sabotage or train wrecking.

(2) In case the inquiry has been held by the Chief Commissioner of Railway Safety he shall forward his Report to the Authorities mentioned in (i) to (vi) of sub rule (1) of this Rule.

5. Publication of reports.—Recommendations in regard to the publication of reports shall be made by the Chief Commissioner of Railway Safety and Railway Board (Ministry of Railways) informed accordingly. In case the Railway Board has reservations on the recommendations of the Chief Commissioner, the matter shall be finally decided by the Central Government (Ministry of Civil Aviation).

6. District Magistrate or his representative to attend the inquiry conducted by Commissioner of Railway Safety.—Where no Magisterial inquiry is being made under clause (a) or (b) of rule 17 of the Railway (Notices of an Inquiries into Accidents) Rules, 1996, the District Magistrate shall, as far as possible attend the inquiry conducted by the Commissioner of Railway Safety personally or depute some other officer to represent him at the inquiry.

7. District Superintendent of Police or his representative.—The District Superintendent of Police shall, as far as possible also attend the inquiry conducted by the Commissioner of Railway Safety personally or depute some other officer to represent him at the inquiry.

8. Commissioner of Railway Safety to assist the Magistrate of the Commission of Inquiry etc. in clarifying technical matters.—The Commissioner of Railway Safety, as far as possible, assist any Magistrate making a judicial inquiry or an inquiry under rule 17 of Railway (Notices of and Inquiries into Accident) Rules 1997 or a Commission of Inquiry appointed under the Commission of Inquiry Act 1952 (60 of 1952), or any other Authority appointed by the Central Government to which all or any of the provisions of the said Act have been made applicable, whenever he may be called upon to do so for the purpose of clarification of any technical matters.

9. Powers of the Commissioners of Railway Safety.—Nothing in these rules shall, except to the extent provided in sub-rule (6) of rule 2, be deemed to limit or otherwise affect the exercise of any of

the powers conferred on Commissioner or Railway Safety by sections 7 and 8 of the Act, 1989.

10. Repeal and Saving.—(1) The 'Statutory Investigation into Railway Accident Rules 1973', published with notification of Government of India in the Ministry of Tourism & Civil Aviation No. 22 dated 2-6-73, part II, section 3 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the rules hereby repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

[F. No. S-11011/1/95-RS]

PRAKASH CHANDRA, Under Secy.

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1998